न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
217/2023	13.06.2023	30.07.2025

सम्पत्ति पत्नी बत्तीलाल, मीना नि0 रामगढ मुराडा तह0 तलावडा ——प्रार्थिया

बनाम

1. कन्हैया पुत्र भबूत्या, कुम्हार निवासी खेडबाढ रामगढ तह0 तलावडा
2. बजरंगा पुत्र भबूत्या, कुम्हार निवासी खेडाबाढ रामगढ तह0 तलावडा
3. ओमप्रकाश पुत्र प्रताप, खटीक निवासी खेडाबाढ रामगढ तह0 तलावडा
4. घनश्याम पुत्र प्रताप, खटीक निवासी खेडाबाढ रामगढ तह0 तलावडा
5. राजेन्द्र पुत्र प्रताप, खटीक निवासी खेडाबाढ रामगढ तह0 तलावडा
6. रामपति पत्नी स्व0 प्रताप, खटीक निवासी खेडाबाढ रामगढ तह0 तलावडा
7. बत्तीलाल पुत्र हजारीलाल, मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 तलावडा
8. रामचरण पुत्र हजारीलाल, मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 तलावडा
9. रामनिवास पुत्र हजारीलाल, मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 तलावडा
10. हरिप्रसाद पुत्र हजारीलाल, मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 तलावडा
11. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राज0 अधिनियम

उपस्थित :—श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थिया की ओर से
श्री रवि शंकर शर्मा, एड., अप्रार्थी सं 3 ता 6 व 8,9,10 की ओर से

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की भूमि ख0न0 1602 रकबा 0.34 है0, ख0न0 1605 रकबा 0.91 है0, ख0न0 1606/1862 रकबा 1.15 है0 ग्राम रामगढ मुराडा तह0 तलावडा मे स्थित है। इससे लगती हुई पश्चिम दिशा की तरफ भूमि ख0न0 1601, 1907/1602 है जो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी मे दर्ज है तथा उत्तर दिशा की ओर लगती हुई भूमि ख0न0 1602/1518 व 1597 है जो अप्रार्थीगण संख्या 7 ता 10 की खातेदारी मे दर्ज है तथा दक्षिण दिशा की ओर लगती हुई भूमि ख0न0 1606 स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 की खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थिया व अप्रार्थीगण के मध्य भूमि की मेड को लेकर आये दिन विवाद होते रहते है। जिसे लेकर प्रार्थिया ने कई बार अप्रार्थीगण से भूमि की पत्थरगढी सहमति से कराने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण ने पत्थरगढी कराने से मना कर दिया और कहा कि भूमि तुम्हारी है और तुम अपनी भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवा सकते हो, हम तुम्हारे साथ कही नही जावेगें। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिया की खातेदारी की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 17:31:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

ख0न0 1602 रकबा 0.34 है0, ख0न0 1605 रकबा 0.91 है0, ख0न0 1606/1862 रकबा 1.15 है0 ग्राम रामगढ मुराडा तहसील तलावडा जिनकी सीमाओ को नजरी नक्शे मे लाल रंग से दर्शाया गया है का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार तलावडा का को भिजवाये जावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राथीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 खाता संख्या 117,347, 16, 12, 368 ग्राम रामगढ मुराडा, नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट रामगढ मुराडा दिनांक 6.7.2022, नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 7 बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए है। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थीगण ने अपने जबाब मे प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया का अप्रार्थीगण से कभी विवाद नही हुआ है। अप्रार्थीगण ने अपनी भूमि का दिनांक 7.7.19 को सीमाज्ञन करवा लिया था परन्तु उस समय प्रार्थिया ही पत्थरगढी के लिए सहमत नही हुई थी। अब प्रार्थिया ने दिनांक 6.7.22 को पटवारी हल्का से मिलकर गलत सीमाज्ञान करवा लिया है। प्रार्थिया सीमाज्ञान दिनांक 6.7.2022 के अनुसार मिनजबाबदार की भूमि पर अतिक्रमण कर गलत रूप से पत्थरगढी करवाना चाहती है। इसलिए विधि अनुसार वर्तमान समय मे पक्षकारान की खातेदारी, रकबा व कब्जा अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि पर पुनः सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी करवाये जाने मे मिनजबाबदार को कोई एतराज नही है। प्रार्थिया की भूमि का पुनः सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाये जाने से पूर्व मिन जबाबदार की भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाये जाने से पूर्व मिन जबाबदार की भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। जिसके लिए मिन जबाबदार आवश्यक सीमाज्ञान व पत्थरगढी का शुल्क जमा करने को तैयार है। प्रार्थिया ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे मे हाल ट्रेस व कब्जा अनुसार अंकन गलत किया है इसलिए यह प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर खारिज होने योग्य है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे तथा मिन जबाबदार के जबाब के मद संख्या 2 के अनुसार मिन जबाबदार व प्रार्थिया दोनो ही पक्षकारों की उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी करवाये जाने मे पूर्ण सहमति है।

वकील उभयपक्ष को सुना गया।

प्रार्थिया के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अपने जबाब के मद संख्या 2 के अनुसार सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.03.11 17:41:32 IST
Reason: SelfAttested

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 08.07.2022 से स्पष्ट है कि प्रार्थिया को उनकी भूमि ख0न0 ख0न0 1602 रकबा 0.34 है0, ख0न0 1605 रकबा 0.91 है0, ख0न0 1606/1862 रकबा 1.15 है0 ग्राम रामगढ मुराडा तह0 तलावडा का सीमाज्ञान कराया जा चुका है परन्तु प्रार्थिया को पडौसी काश्तकारों से विवाद बने रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिया अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 1602 रकबा 0.34 है0, ख0न0 1605 रकबा 0.91 है0, ख0न0 1606/1862 रकबा 1.15 है0 ग्राम रामगढ मुराडा तह0 तलावडा की पत्थरगढी कराने की अधिकारी हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थिया को उनकी खातेदारी भूमि ख0न0 1602 रकबा 0.34 है0, ख0न0 1605 रकबा 0.91 है0, ख0न0 1606/1862 रकबा 1.15 है0 ग्राम रामगढ मुराडा तह0 तलावडा पर पत्थरगढी करावें। निर्णय की एक प्रति पालना हेतु तहसीलदार लैण्ड होल्डर तलावडा को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.7.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 17:51:32 IST
Reason: SelfAttested